



2026:AHC:43247

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - बी संख्या - 804 सन् 2026

राणा प्रताप सिंह एवं 10 अन्य

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता : अवनीश कुमार राय, दिनेश राय, समरथ सिंह
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, (सी.एस.सी) नारायण
दत्त शुक्ला, ऋतुवेन्द्र सिंह नागवंशी, वरिष्ठ
अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय,

- 1- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान रिट याचिका को बल नहीं दिया गया है इसी के अनुरूप मैं याचिका खारिज किया जाए तथा नवीन याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
- 2- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए उक्त कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका बल नहीं दिया गया के रूप में इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त की जाती है कि याचिकाकर्ता नवीन याचिका दाखिल कर सकते हैं।
- 3- यह भी निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, नवीन रिट याचिका दाखिल करने से पूर्व, वर्तमान वाद में कैविएटर के अधिवक्ता को रिट याचिका की प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
- 4- कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख पर प्रतिलिपियाँ सुरक्षित रखते हुए, संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ याचिकाकर्ताओं को वापस कर दी जाएं।

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

24 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।